गोयल को श्रद्धाजंली

टोंक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष स्व. आत्माराम गोयल की द्वितीय पुण्यतिथि पर सवाई माधोपुर चौराहा स्थित मिडवे पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस जनों ने भाग लिया। पूर्व विधायक कमल बैरवा ने आत्माराम जी गोयल को श्रद्धा सुमन अर्पित किया।

ओवरलोड वाहनों का परिवहन जारी, सड़कें भी दे रही जवाब

पावटा। शहर की सडकों पर सरपट दौडते ओवरलोड ट्रक व ट्रेक्टर वाहन चालकों व राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। काफी समय से शहर में ओवरलोड परिवहन का खेल बदस्तूर जारी है। लेकिन पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इन ओवरलोड वाहन चालकों के खिलाफ कभी कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा। शहर में ट्रैक्टर, ट्रकों, बसों, कार आदि ओवरलोड वाहनों का परिवहन के मामले लबे समय से बढ रहे हैं।

हालांकि इस सबन्ध में पुलिस प्रशासन व जिला परिवहन अधिकारी को लोगों ने शिकायत भी की गई हैं। लेकिन नतीजा सिफर रहा। ओवरलोड वाहनों से उडती धूल के कारण दो पहिया वाहन चालकों को भी खासी समस्या का सामना करना पडता है। इससे कई बार दो पहिया वाहन चालक दुर्घटनाओं के शिकार हो चुके हैं।

यह सिलसिला पिछले काफी समय से चल रहा है। शहर के कूनेड, टसकोला, भोनावास रोड पर हर पांच दस मिनट में ओवरलोड वाहन गुजरता है। वहीं शहर के यातायात पुलिस, पुलिस थाने के आगे से यह वाहन दिनभर गुजरते रहते हैं। बावजूद इसके इनपर कार्रवाई की जहमत नहीं की जाती। बडे हालांकि ट्रेक्टर व ट्रक चालकों को रेत से भरे वाहन को तिरपाल से ढकना होता है। जिससे अन्य वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानी ना हो। लेकिन इन लोगों की ओर से इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ओवरलोड वाहनों के गुजरने से शहर की सडकें भी जवाब देने लगी हैं। सुबह से रात तक ट्रक व ट्रेक्टरों में क्षमता से अधिक सामान भरने से सडकें जगह-जगह से उखडती व टूटती जा रही हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि गारंटी अवधि में सडकों के क्षतिग्रस्त होने की मुय वजह ओवरलोड वाहन ही हैं। वाहन चालक अधिक फेरे करने के चक्कर में वाहन को भी निर्धारित गति सीमा से तेज दौडाते हैं। इससे हर समय दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।

शहर के प्रागपुरा थाना के सामने से सुबह से शाम तक और रात से लेकर शाम तक रेत से और अन्य सामान से भरे वाहन गुजरते हैं लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है।वही डीएसपी शिप्रा राजावत का कहना है कि इन वाहनो को डायवर्ट किया जायेगा। हमारी टीमों द्वारा कई स्थानों पर चैकिंग कर ऐसे वाहनों पर कार्रवाई भी की जायेगी। वहीं प्रागपुरा थाना प्रभारी राजेश कुमार का कहना है कि ओवरलोड वाहनों के लिए परिवहन विभाग को अवगत करवाकर उन पर संयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

यातायात पुलिस के पास से जाता ओवरलोड वाहन।

- ओवरलोड वाहनों से उडती धूल के कारण दो पहिया वाहन चालकों को भी समस्या का सामना करना पडता है

घर में घुसकर मारपीट करने का मामला दर्ज

कोटपूतली। स्थानीय पुलिस थाने में घर में घुसकर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार कस्बे के डाबला रोड़ स्थित वार्ड नं. 09 रूप नगर कॉलोनी निवासी लोकेश पुत्र लालाराम शर्मा ने दर्ज करवाया कि विगत 03 नवम्बर की रात्रि करीब 08 बजे ग्राम सुन्दरपुरा निवासी सतीश कसाना उर्फ सत्या सरकार पुत्र मालाराम गुर्जर ने पीडित के मोबाईल पर फोन कर गालियां व धमकी दी। जिसके बाद रात्रि करीब 8.45 बजे उक्त व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियों के साथ मोटरसाईकिल पर सवार होकर पीडित के घर आ गया। जहाँ जबरन घर के अन्दर घुसकर परिवादी की पत्नी अंजली शर्मा व माता सरोज देवी के साथ गाली गलौच एवं मारपीट की। साथ ही पीडित की पत्नी की लज्जा भंग का प्रयास करते हुये पीडित के साथ मारपीट भी की।

आम सूचना

हर आम व ास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य मोहम्मद रफीक पुत्र श्री गफूर भाई, पता-मकान नं. 121, महारानी जी की छतरी, पुराना रामगढ रोड, डी.बी.एन. स्कूल के सामने, जयपुर के पुत्र मोहम्मद इरफान मेरे अभिभाष्य के कहने, सुनने में नहीं है तथा मेरे अभिभाष्य के साथ राव आचरण करता है, इस कारण से मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र मोहम्मद इरफान को अपनी समस्त प्रकार की चल एवं अचल सम्पत्ति एवं परिवार से बेदाल कर दिया है। मेरे पुत्र मोहम्मद इरफान से कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार करता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी, इसमें मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

दिनांक-04.11.2024 (अनिल कुमार शर्मा) एडवोकेट मो. 9875199563

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जे.डी.ए. की नाहरी का नाका योजना में प्लाट नम्बर 1-सी-75 गुर्जर बस्ती शास्त्री नगर, जयपुर-302016 का अलॉटमेंट लैटर जो कि गुल्ला राम मीणा पुत्र श्री भौरी लाल के नाम था जो कि अब श्री भानु प्रताप सैन पुत्र श्री ललित कुमार सैन के नाम ट्रांसफर हो गया है वो खो गया है जिसकी रिपोर्ट एलआर नम्बर 2435700/2024 दर्ज करा दी गई है। उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में भानु प्रताप सैन पुत्र ललित कुमार सैन ने एस.बी.आई. में लोन हेतु आवेदन किया है यदि किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथी से 7 दिवस में सम्पर्क करें। आर.के. जैन (एडवोकेट) मो. 9414311850

आम सूचना

सर्वसाधारण को विदित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री जंगवीर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह एवं श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री जंगवीर सिंह निवासीगण-मकान नम्बर 67/224, जादौन नगर-ए, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर-राजस्थान जो कि वरिष्ठ नागरिक है उनका पुत्र व उनकी पुत्रवधु मेरे अभिभाष्यगण के कहने में नहीं है, उनके साथ आये दिन गाली गलौच, मारपीट करते है ना ही उनको खाना देते है जिससे व्यथित होकर मेरे अभिभाष्यगण के निर्देशानुसार सूचित करता हूँ कि मेरे उक्त अभिभाष्यगण अपनी चल व अचल सम्पत्ति जो वर्तमान में है व भविष्य में होगी से अपने पुत्र ओमवीर सिंह उर्फ रस्सू एवं व अपनी पुत्रवधु श्रीमती हेमा चौधरी पत्नी श्री ओमवीर सिंह उर्फ रस्सू को आज से बेदाल करते है तथा इनके किसी भी कृत्य के लिये मेरे अभिभाष्यगण किसी भी प्रकार के जिम्मेदार नहीं होंगे।

जयपुर (पुरूषोत्तम दास शर्मा) एडवोकेट
दिनांक-04.11.2024 मो.9784997305

तीये की बैठक

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी **घीसी देवी** धर्मपत्नी स्व. श्री रामुलाल चेला का आकस्मिक निधन 03.11.2024 को हो गया है। तीये की बैठक 05.11.2024 को निवास स्थान ग्राम अचरावाला, सांगानेर, समय 3 से 4 बजे रखी गई है।

शोकाकुल - लादुराम चेला (देवर), नन्दुराम, रामेश्वर, गोपाल, नाथूराम, कैलाश, राधेश्याम (पुत्र), पप्पूलाल रामदयाल, प्रहलाद B.L., मदन, रमेश, राजेश, रामावतार, प्रदीप (प्रपौत्र समस्त चेला परिवार

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक: 4585 **जाहिर आम सूचना** दिनांक: 30.10.2024

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या: **160/56 (MIG-B)** का आवंटन **श्री महेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री रामनिवास गुप्ता** को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 918 दिनांक 28.09.1999 को जारी किया गया था। जिसका नियमितिकरण पत्र क्रमांक 6/57 दिनांक 13-04-2001 के द्वारा **डॉ. अनिता खुराना पत्नी श्री सुधीर खुराना** के पक्ष में किया गया। उनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन उप पंजीयक सांगानेर दिनांक 29.03.2005 को कर दिया गया। डॉ. अनिता खुराना द्वारा श्री पूर्ण दत्त माथुर पुत्र श्री इन्द्र दत्त माथुर को दिनांक 29.06.2005 को मुख्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री पूर्ण दत्त माथुर द्वारा मुख्यारआम की हैसियत से उक्त आवास को 1. श्री चन्द्रेश ओलानिया पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह ओलानिया एवं 2. श्री नरेन्द्र सिंह ओलानिया पुत्र स्व. श्री शेरसिंह जड़िया को विक्रय कर इनके पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 14.02.2006 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर, में पंजीकृत करवाया गया। **श्री नरेन्द्र सिंह ओलानिया** उक्त आवास का अपना 1/2 हिस्सा श्री चन्द्रेश ओलानिया पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह ओलानिया को उपहार कर इनके पक्ष में उपहार पत्र दिनांक 04.06.2015 को उप पंजीयक (चतुर्थ) जयपुर, में पंजीकृत करवाया गया। क्रेता **श्री चन्द्रेश ओलानिया पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह ओलानिया** द्वारा आवासन मण्डल में उक्त सम्पूर्ण आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं। **श्री चन्द्रेश ओलानिया पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह ओलानिया** का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्जकर दिया जावेगा।

भवदीय: सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त प्रथम, राज. आवासन मण्डल, जयपुर

सम्पत्ति से बेदखल सूचना

मैं जमना देवी पत्नि देवीदयाल जोगी निवासी लांगरा तहसील मण्डरायल हाल निवासी मासलपुर चुंगी चेतना होटल के पीछे करौली जिला-करौली मैं मेरे पुत्र संदीप व उसकी पत्नि सोनिया को सम्पत्ति से बेदाख्ल करती हूँ। जमना देवी ने बताया कि पुत्र संदीप बदचलन और बुरी संगत में है। इसलिए मैं मेरी चल अचल सम्पत्ति जिसमें एक प्लाट जिसमें मकान निर्मित है। जिसका खसरा नं. 1286/1 रकवा 19 बिस्वा में भूखण्ड नं. 116 जो 169.66 वर्ग गज का है। जो मेरी स्वयं निजी आय से खरीद कर निर्माण किया है। यदि संदीप का पुत्र वधु सोनिया से मेरी सम्पत्ति का सौदा करता है या उससे कोई लेनदेन करता है तो उसकी मैं जमना देवी किसी प्रकार की जिम्मेदारी नही होगी। वह स्वयं या लेनदेन करने वाला ही जिम्मेदार होगा।

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 40/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी ग्राम मनीष माथुर पुत्र श्री आर.के. माथुर जाति कायस्थ विवाद स्थान एस.बी.आई बैंक लॉकर मृतक श्री राज किशोर माथुर की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 12.11.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम राजकिशोर माथुर पुत्र कल्याणबक्श माथुर जाति... निवासी 1/6, शिवानन्द मार्ग, मालवीय नगर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अत: उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 12 माह 11 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 06 माह 09 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर
आज्ञा से
अपर जिला सैंशन न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम न्यायालय सांगानेर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र: LU2012/JDA/2024-25/103559 लोक सूचना दि. 30.09.2024

श्री **M/S STONE AGE PRIVATE LIMITED DIR AND AUTHORISED SIGNATORY PAWAN KHANDELWAL** पुत्र श्री **MAKHAN LAL KHANDELWAL** जाति **KHANDELWAL** निवासी **C-709-710 FELICITY EMERALD SEWAGE FARM OPP. SHYAM NAGAR SODALA NEAR BIG BAZAR NEW SANGANER ROAD JAIPUR** ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिकृति अधिकारी के निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल(वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल(हैक्टेयर)
1	सीकारपुरा सांगानेर (जयपुर)	STONE AGE PRIVATE LIMITED	190/3	8700	0.87
2			197/1	2500	0.25
3			197/2	1250	0.125
			कुल		1.245

इसलिए, इनके द्वारा समस्त संभावित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 80-ब और राजस्थान अभिकृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिकृति अधिकारी के निर्धारण पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएमओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर सम्बंधित दस्तावेज की अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **30.09.2024** को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी जोन-08, अविप्रा, जयपुर**

आम सूचना

मैं छत्रपाल सिंह गुर्जर कान्ट्रक्शन कम्पनी का अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से जारी किये जा रहे है। यदि किसी के द्वारा कम्पनी के नाम से किसी व्यक्ति को अनुभव प्रमाण पत्र दिया जावें तो उसे फर्जी माना जावें। कोई अन्य व्यक्ति फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दे रहा है। उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हस्ताक्षर छत्रपाल सिंह गुर्जर

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य पवन कुमार गुप्ता द्वारा भूमि/दुकान नम्बर जी-9, ग्राउण्ड फ्लोर, "सिटी सेन्टर" प्लॉट नम्बर 6, Mukand Garh House संसार चन्द्र रोड, जयपुर राजस्थान में स्थित है, जिसका कुलक्षेत्रफल 255 वर्गफीट है को क्रय किया जा रहा है। यह कि उक्त वर्णित सम्पत्ति को श्री मोहन लाल शर्मा (व्यास) ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.05.2004 द्वारा मैसर्स अशोका एन्टरप्राइजेज जरिये पार्टनर जगदीश साहू (विक्रेता) एवं मैसर्स गणपति बिल्डर्स जरिये पार्टनर श्री डी.पी. लाम्बा (प्रतिनिधि) से क्रय किया, श्री मोहन लाल शर्मा (व्यास) ने उक्त वर्णित सम्पत्ति बाबत अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा दिनांक 10.06.2004 को अपनी पुत्री गीता शर्मा (गीतू शर्मा) के हित में निष्पादित कर दिया, श्री मोहन लाल शर्मा (व्यास) का स्वर्गवास 15.06.2015 को हो गया। श्री मोहन लाल शर्मा (व्यास) के स्वर्गवास के पश्चात उक्त वसीयतनामा प्रभावी हो गया तथा उक्त वसीयतनामे के आधार पर उक्त वर्णित सम्पत्ति की उनकी पुत्री गीता शर्मा (गीतू शर्मा) उक्त वर्णित सम्पत्ति की एकमात्र मालकिन, काबिज, स्वामी व अधिकारी है। गीता शर्मा (गीतू शर्मा) द्वारा उक्त सम्पत्ति को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय किया जा रहा है। यह कि उक्त सम्पत्ति बाबत यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, बैंक, वित्तीय संस्था, सगे सम्बन्धी या अन्य कोई वारिसान, जनसाधारण, उत्तराधिकारी इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, एतराज हो तो इस सूचना के प्रकाशन से सात दिवस की अवधि में मुझसे व्यक्तिगत रूप से मेरे निम्नलिखित ऑफिस पते पर अपनी आपत्ति/ऐतराजात मय असल दस्तावेज सहित व्यक्त करें। उक्त अवधि गुजर जाने के पश्चात किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा उक्त अवधि के पश्चात इस आम सूचना बाबत कोई भी आपत्ति/ऐतराजात किसी भी न्यायालय में शून्य व निरस्त समझी जायेगी।

बी.सी. सांखला, एडवोकेट मो. 9829063273

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली ई-निविदा सूचना

भारत संघ के राष्ट्रपति और उनकी ओर से उप मुख्य अभियंता (निर्माण), / कार्य / उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर निम्नलिखित कार्यों के एकल पैकेट प्रणाली के तहत ऑनलाईन खुली ई-निविदा सूचना आमंत्रित करते है. **निविदा सूचना संख्या: NWR-SC-HQ-JP-03-2024-25 दिनांक 30.10.2024. कार्य का नाम स्थान सहित :** Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT) of Flash Butt Welded joints executed by mobile Flash Butt plants at site using RDSO verified PAUT weld tester in entire jurisdiction of construction units of North Western Railway. **कार्य की अनुमानित लागत :** ₹ 2,34,08,190/-. **बयाना राशि:** ₹ 2,67,100/-. **निविदा जमा करने की तिथि एवं समय दिनांक : 27.11.2024** को 15.00 बजे तक. वेबसाईट का विवरण जहां पर ई-निविदा देखी व भरी जा सकती हैं : **www.ireps.gov.in** कार्यालय ई-मेल का पता : **dycecworkshqnwr@gmail.com नोट: 1.** कोई भी निविदा व्यक्तिगत रूप में स्वीकार नहीं की जायगी. **2.** बोली सुरक्षा (बयाना राशि) ई पेमेंट गेटवे के माध्यम से नगद में जमा की जाएगी या भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी बांड के रूप में जमा की जाएगी या जैसा कि निविदा दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है| बैंक गारंटी बांड एफए एवं सीएओ/निर्माण, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के पक्ष में जारी किया जाना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा.

1267-AR/24

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

सूचना

मैं प्रियांशी मंडावत पुत्री श्री मानसिंह मंडावत गांव बाड़ा बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान की रहने वाली हूं। मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में जन्मतिथि 2 फरवरी 2012 है एवं पिता के सरनेम में मीना अंकित है, जो कि गलत है। जबकि रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु प्राधिकारी ग्राम पंचायत बाड़ाबुजुर्ग द्वारा जारी किया गए जन्म प्रमाण पत्र में मेरी जन्म तिथि 7 जनवरी 2013 है एवं पिता का सरनेम मंडावत है। अब भविष्य में मुझे प्रियांशी मंडावत पुत्री श्री मानसिंह मंडावत (जन्म तिथि 7 जनवरी 2013) के नाम के साथ जाना जाए।

प्रियांशी मंडावत
गांव बाड़ा बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772
क्रमांक- DHC-II/1172 दिनांक- 28.10.2024

जाहिर आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 62/303 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 47.520 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्रीमती कमला देवी शर्मा पत्नी श्री इन्द्र पाल शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 671 दिनांक 07.11.1987 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 22.12.1987 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1459 दिनांक 17.05.2002 के द्वारा श्रीमती रेखा देवनानी पत्नी श्री कुन्दन लाल देवनानी के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1368 दिनांक 07.10.2003 के द्वारा श्री कुन्दन लाल देवनानी पुत्र श्री हेमनदास देवनानी के नाम मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 09.04.2009 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री कुन्दन लाल देवनानी की मृत्यु दिनांक 19.01.2024 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री अनिल कुमार देवनानी पुत्र स्व. श्री कुन्दन लाल देवनानी ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है।

अत: उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री अनिल कुमार देवनानी पुत्र स्व. श्री कुन्दन लाल देवनानी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक वृत्त द्वितीय, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम मुस्ताक से बदलकर मुस्ताक अली पुत्र मोईनुद्दीन रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। निवासी-प्लॉट नं. सी-91, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर

मैं आर्मी नं. 2697593H HAV JITENDRA SINGH of UNIT 24 GRENADIERS. मेरे सैन्य दस्तावेज में मेरी माता का नाम Amrotee devi है जो कि गलत है मेरी माता का सही नाम Amravati है।

मैं, जेसी-700942एच सुबेदार शिव कुमार ने जिला अदालत, जयपुर के समा दिनांक 04.11.2024 के शपथपत्र के माध्यम से अपनी पत्नी का नाम ममता कुमारी (Mamta Kumari) से बदलकर ममता कुमारी Mamata Kumari) निवासी निवासी मिलिट्री हॉस्पिटल जयपुर कर लिया है।

खोया-पाया

मैंने मकान 6 घ 30 जवाहर नगर के मूल कागजाद-आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, डिकलेरशन अदैय प्रमाण पत्र जवाहर नगर में कहीं गिर गये। मिलने पर सुचित करें सुजाता अगनानी-9928855951

मेरे फ्लेट नम्बर ए-21/10 चिनाव अपार्टमेंट, सैक्टर-28, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर RHB का अलाटमेंट लेटर नम्बर 11113 दिनांक 15.02.2012 कहीं खो गया मिलने पर सूचित करें वीरेन्द्र नाथ-9636237995

मेरे मकान नम्बर 103/38 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का कब्जा पत्र व मूल भौतिक कब्जा पत्र कहीं खो गया मिलने पर सूचित करें-9251466353

UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR
DEPARTMENT OF PHYSICS
TENDER NOTICE

Offline Technical and Financial Bids are invited up to 11.11.2024 at 1:00 pm for the provision of food and beverages for the International Conference ICMTP-2024 to be held from 21st November to 23rd November 2024 in the Department of Physics, University of Rajasthan, Jaipur under the RUSA 2.0 project 6.0. The details of the tender can be viewed and downloaded in the Bidding Document available at our office or on the websites: http://sppp.rajasthan.gov.in and www.uniraj.ac.in. Tender Information : NIB No.: URA2425A0052, UBN No.: URA2425SSOB00140

Dr. Sarita Kumari, Convener ICMTP-2024
Prof. Mangej Singh, Chairperson ICMTP-2024

कार्यालय नगरपरिषद, करौली राज.

क्रमांक:2622 दिनांक: 28.10.2024

-: आम सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी नगर परिषद करौली सीमा क्षेत्र में De-sludging टैंक ऑपरेटर खुले में De-sludging टैंक खाली करते पाया गाय या कोई De-sludging ट्रेक्टर ऑपरेटर या सीवर की सफाई करने वाले बिना सैफ्टी गैयर पहने साफ सफाई करते पाया गया तो उसके खिलाफ दण्डवत कार्यवाही की जायेंगी। अत: जो भी प्राईवेट De-sludging सेनिटेशन सर्विस प्रोवाइडर नगर परिषद क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे है। उन्हें अगले 15 दिवस में अपने आपको नगर परिषद कार्यालय में रजिस्टर कराना होगा। यदि कोई बिना कोई रजिस्ट्रेशन के कार्य करता पाया गया तो उसके खिलाफ दण्डवत कार्यवाही की जावेगी।

आयुक्त
नगरपरिषद, करौली

कार्यालय पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर (राज.)

क्रमांक-2024-25/1146 दिनांक-28.10.2024

खुली निविदा सूचना संख्या

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत पंचायत समिति खण्डार के पंचायत समिति क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनान्तर्गत कचरा संठाहण के लिए पशु कार्ट क्रय कार्य हेतु जीएसटी में पंजीकृत साम संवेदक/फर्मों अथवा जो राजस्थान सरकार के विभिन्न निर्माण विभागों में बी-श्रेणी या उच्च श्रेणी में पंजीकृत हो से निम्नानुसार निविदा दरें खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र सं.	पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में	अनुमानित लागत रू. (लाखों में)	धरोहर राशि रू. (प्रतिदेय)	बिड/निविदा प्रपत्र शुल्क रू. (अप्रतिदेय)	निविदा विक्रय दिनांक व समय	अमानत/निविदा शुल्क राशि का डीडी जमा की अन्तिम दिनांक एवं समय	ऑन लाइन निविदा खोलने की दिनांक व समय
1.	पुश कार्ट क्रय कार्य	9.00	18000	1000	29.10.24 प्रात: 11.00 बजे से	08.11.24 शायं 6:00 बजे तक	11.11.24 दोपहर 3:00 बजे

1. बिड की शर्ते-बौली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. पुश कार्ट क्रय हेतु-बिड प्रपत्र, बिड से संबंधित नियम, शर्ते सम्बन्धी दस्तावेज निर्धारित बिड शुल्कलोक उपापन की वेबसाइट http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
3. विभिन्न पुश कार्ट क्रय कार्य हेतु निविदा प्रपत्र, अमानता/निविदा शुल्क राशि का डीडी सील बन्द लिफाफे में जिसके उपर संबंधित बिड का विवरण अंकित हो, कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार में उक्तानुसार दिनांक 08.11.2024 को सायं 6.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। तकनीकी बिड में सभी आवश्यक दस्तावेज जो निविदा शर्तो में उल्लेखित है, संलग्न होना आवश्यक है, इसके अभाव में तकनीकी बिड को निरस्त मानते हुए वित्तीय बिड पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बिड स्वीकार्य नहीं होगी।
4. सम्बन्धित क्रय समिति न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार किए जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगी। विवाद की स्थिति में क्रय कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा जो सभी संवेदकों को मान्य होगा।
5. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो इसके साथ ही राज्य में दिनांक 28.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं संलग्न शर्ते प्रभावशील है, जो उक्त बिड पर प्रभावशील होंगे।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति खण्डार

आदर्श मण्डल ने मनाया दीपावली स्नेह मिलन

अजमेर, 04नवम्बर(कासं)। अजमेर दक्षिण विधानसभा के आदर्श मण्डल द्वारा सोमवार को आदर्श नगर स्थित मनुहार गार्डन में दीपावली स्नेह मिलन समारोह मनाया गया। भव्य आतिशबाजी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल रही है। उन्होने समस्त कार्यर्त्ताओं को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी व उनके परिवार की कुशलक्षेम पूछी। विधायक भदेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता भाजपा का परिवार है उसकी किसी भी परेशानी में भाजपा परिवार हमेशा उनके साथ खडा है।

विधायक भदेल ने सदस्यता अभियान में कार्यकर्ताओं के जोश व उत्साह की सहराना करते हुए बताया कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक बूथ स्तर पर अधिक से अधिक लोगो को सदस्यता अभियान के माध्यम से भाजपा में जोडा है। उन्होने कार्यकर्ताओ का उत्साहवर्धन करते हुए भाजपा के सिद्वांतो पर चलने और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहने हेतु संकल्पित किया।

विधायक भदेल ने आगामी संगठन महापर्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए यह भी बताया की अब उन बूथो व मण्डलो पर ध्यान केन्द्रीत करा जायेगा जहां पर प्रति बूथ औसत सदस्यता 50 से कम रहे है। साथ ही प्रत्येक मण्डल में कम से कम 500 महिलाओं का पंजीकरण भी करवाया जायेगा। संगठन महापर्व के दौरान बूथवार प्राथमिक सदस्य रजिस्ट